सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 270/21 **दिनांक- 08 जून 2021**

प्रेस नोट

थाना-फूलपुर

पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 50 हजार का ईनामिया लूटेरा गिरफ्तार

दिनांक 29.7.2019 को श्री उमाशंकर जायसवाल पुत्र शिवकुमार जायसवाल साकिन कस्बा फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा कार सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा खुद की मोटर साईकिल में टक्कर मनार कर गिरा देना व बैग में रखा 12,2000 रूपये (बारह लाख दो हजार रूपये) बैग सहित छीन लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 198/19 धारा 392 भादवि बनाम कार सवार अज्ञात बदमाश पंजीकृत किया था। जिसमें दौरान विवेचना अभियुक्त गण 1. मो0 वकी खान पुत्र इन्तसार अहमद 2. रेयान पुत्र इसरार उर्फ नाटे साकिनान छित्तेपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ 3.अकदस पुत्र नजरे आलम उर्फ नन्हू 4. असवद पुत्र नजरे आलम उर्फ नन्हू 5. उमर पुत्र अतीकुर्रहमान साकिनान फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ 6. वसीम पुत्र अबरार साकिन कतरा नूरपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ 7. साकिर पुत्र शाह आलम साकिन पारा थाना सरायमीर आजमगढ़ का नाम मुकदमा बाला में प्रकाश में आया। जिसमें से अभियुक्त गण 1. मो0 वकी खान पुत्र इन्तसार अहमद 2. रेयान पुत्र इसरार उर्फ नाटे साकिनान छित्तेपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ 3.अकदस पुत्र नजरे आलम उर्फ नन्हू 4. वसीम पुत्र अबरार साकिन कतरा नूरपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ 5. साकिर पुत्र शाह आलम साकिन पारा थाना सरायमीर आजमगढ़ 6 असवद पुत्र तब्बूल उर्फ तालिबनिवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ विभिन्न तिथियों में गिरफ्तार किये गये व मुकदमा बाला से सम्बन्धित कुल 6,68500 रूपये इन लोगो से बरामद किये गये थे। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा बाला से धारा 392 भादवि को विलोपित करते हुये धारा 395/412/325 भादवि को समावेशित किया गया। अभियुक्त गण उपरोक्त चालान अन्तर्गत धारा 395/412/325 भादवि में माननीय न्यायालय किया गया। मुकदमा बाला में शेष अभियुक्त उमर पुत्र अतीकुर्रहमान साकिन फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे। अभियुक्त गण उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार उसके मिलने छिपने के सम्भावित स्थानों पर दबिश की कार्यवाही की जा रही थीपरन्तु अभियुक्त गण लगातार पुलिस से लुक छिपकर फरार चल रहे थे। अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 लखनऊ शाखा से अनुरोध किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/ईनामिया अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुकदमा बाला में वांछित अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु विवेचक प्र0नि0 श्री रत्नेश कुमार सिंह द्वारा एस0टी0एफ0 लखनऊ को सहयोग करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया गया था। उक्त के क्रम में उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार मय हमराहियान मुतैना एस0टी0एफ0 लखनऊ द्वारा मुकदमा बाला में वांछित अभियुक्त 1. उमर उर्फ उमर अहमद पुत्र अतीकुर्रहमान उर्फ अदुलरहमान शेख उम्र करीब 32 वर्ष साकिन फरिहा थाना

निजामाबाद आजमगढ़ को थाना ठाणे मुम्बई क्षेत्र स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था। व आज दिनांक 8.6.21 को थाना हाजा पर लाकर दाखिल किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त पूछताछ में अपने जुर्म को स्वीकार कर रहा है तथा बता रहा है कि साहब लूट के पैसे में से कुल 2,30,000 रूपये उसको मिले थे।जिसे मैने खर्च कर दिया।

सम्बन्धित मुकदमा –

मु0अ0सं0 198/19 धारा 395/412/325 भादवि थाना फूलपुर , आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

क्रं0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**	**जिला**
1.	198/19	395/412/325 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
2.	93/20	174ए भादवि	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. उमर उर्फ उमर अहमद पुत्र अतीकुर्रहमान उर्फ अदुलरहमान शेख उम्र करीब 32 वर्ष साकिन फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार एस0टी0एफ0 लखनऊ
2. हे0का0 जावेद आलम सिद्दिकी एस0टी0एफ0 लखनऊ
3. हे0का0 कवीन्द्र साहनी एस0टी0एफ0 लखनऊ
4. हे0का0 चन्द्रप्रकाश मिश्रा एस0टी0एफ0 लखनऊ
5. हे0का0 मृत्युन्जय कुमार सिंह एस0टी0एफ0 लखनऊ

गिरफ्तार अभियुक्त के सम्बन्ध में इनाम घोषित कराने हेतु पूर्व में रिपोर्ट प्रेषित किया गया है या नहीं-

50,000 रूपये